

क्रमांक: 16/1/91-6 जी. एस-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा।
2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गांव तथा रोहतक मण्डल।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़।

दिनांक: 22/2/91

विषय: -सेवा अवधि के दौरान नकारा होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सुविधायें।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 12155-3जी एस-II-75/34723, दिनांक 2-12-75 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने सेवा अवधि के दौरान अर्द्ध व नकारा होने वाले कर्मचारियों के परिवार के आश्रितों को दी जाने वाली नौकरी की सुविधा को समाप्त कर दिया है।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता:

अवर सचिव, प्रोटोकॉल,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा सभी वित्तायुक्त एवं सचिवों को सूचनार्थ तथा आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता:

अवर सचिव, प्रोटोकॉल,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा तथा सभी वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा।

मन्ता: क्रमांक: 16/1/91-6 जी. एस-II

दिनांक: 22-2-91